झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

आदेश

दिनांक 21.07.2023 को झारखण्ड गजट में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना **एस. ओ. संख्या–28** द्वारा प्रकाशित ''झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान अधिनियम, 2022'' की धारा–1(3) एवं झारखण्ड कराधान अधिनयिमों की बकाया राशि का समाधान नियमावली, 2023'' के नियम 3(1) के अनुसार आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 24.10.2023 होती है। कतिपय बड़े व्यवसायियों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अधिवक्ता संघ द्वारा आवदेन की तिथि को विभिन्न कारणों से विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. एतद् द्वारा झारखण्ड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान अधिनियम, 2022'' की धारा–4 की उपधारा (1) के 'परन्तुक' द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन दाखिला की अंतिम तिथि को अगले 30 दिनों अर्थात् दिनांक 23.11.2023 तक विस्तारित की जाती है।

3. उक्त अधिनियम एवं संबंधित नियमावली की शेष शर्त्तें यथावत् रहेंगी।

4. उक्त पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

10/11/23

(संतोष कुमार वत्स)
वाणिज्य–कर आयुक्त,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– वा०कर० / विविध /24 / 2015 (खण्ड–2)– 1226   रांची, दिनांक–10/11/23

प्रतिलिपि– 1. माननीय वाणिज्य–कर मंत्री के आप्त सचिव / महालेखाकार, झारखण्ड, रांची / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, झारखण्ड, रांची / वाणिज्य–कर आयुक्त कोषांग / सभी राज्य–कर अपर आयुक्त (प्र०) / सभी राज्य–कर अपर आयुक्त (अपील) / सभी राज्य–कर संयुक्त आयुक्त (अंचल प्रभारी) / सभी राज्य–कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण ईकाई) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/23
वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
झारखण्ड, रांची।

<<BKS_hindi>>

<<BKS_hindi>>

Scanned with OKEN Scanner